

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2024—चैत्र 29, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
शुद्धि पत्र

क्र. एफ-3-3-4-0006-2024-Sec-02-पांच (CT) (04).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 15 मार्च, 2024 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-4-0006-2024-Sec-02-पांच (CT) (03) की सारणी 3 के अनुक्रमांक 1 एवं 3 में, शब्द समूह "एक निर्माता" के स्थान पर, शब्द समूह "एक या एक से अधिक निर्माताओं" पढ़े जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र. 3-3-4-0006-2024-Sec-02-पांच (CT) (04).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-4-0006-2024-Sec-02-पांच (CT) (04), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2024

CORRIGENDUM

No. F-3-3-4-0006-2024-Sec-02-V (CT) (04).—In this department's notification number 3-3-4-0006-2024-Sec-02-V-(CT) (03), dated 15th March, 2024 published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), in serial number 1 and 3 of Table 3, for the words "a manufacturer" the words "one or more than one manufacturers" shall be read.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.